

02.02.2018

अनावेदक/राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर एजीपी उपस्थित।

अनावेदक/जमानतदार जगराम की ओर से श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/जमानतदार की ओर से श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता द्वारा एडवोकेट मेमो सहित नोटिस अंतर्गत धारा 446 द0प्र0सं0 का जबाब पेश किया एवं उक्त जबाब के समर्थन में अनावेदक के बृद्ध व बीमार होने से उसके पुत्र चंद्रभान का शपथपत्र पेश किया गया। प्रतिलिपि आवेदक पक्ष को प्रदान की गयी।

धारा 446 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रतिभूति पत्र की राशि राजसात किये जाने के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/राज्यपक्ष की ओर से एजीपी द्वारा अधिक से अधिक राशि राजसात किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकट किया गया कि सत्र प्रकरण क्रमांक 106/16 में उक्त जमानतदार से संबंधित अभियुक्त की उपस्थिति हो गयी है।

जबकि अनावेदक/जमानतदार की ओर से कम से कम राशि राजसात किये जाने का निवेदन इन आधारों पर किया गया है कि संबंधित सत्र प्रकरण क्रमांक 106/16 में जमानतदार ने अभियुक्त को बेल जम्प हो जाने के बाद उपस्थित करा दिया है और अभियुक्त द्वारा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुचलका जप्ती की संपूर्ण राशि 7000/- रुपए न्यायालय में जमा करा दी है एवं जमानतदार बहुत बृद्ध व बीमार होकर अति गरीब व्यक्ति है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुए इस प्रकरण सहित इस न्यायालय में लंबित संबंधित सत्र प्रकरण क्रमांक 106/16 का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि उक्त सत्र प्रकरण में जमानतदार/अनावेदक जगराम द्वारा अभियुक्त आदिराम की 50000/- रुपए की जमानत दी गयी है और विचारण के दौरान अभियुक्त आदिराम के अनुपस्थित हो जाने के बाद उक्त अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति हो गयी है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त संबंध में अभियुक्त आदिराम द्वारा मुचलका जप्ती की संपूर्ण राशि 7000/- रुपए जमा करा दी है। अनावेदक/जमानतदार की ओर से उसके पुत्र द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से समर्थित निवेदन किया गया है कि अनावेदक/जमानतदार जगराम बहुत बृद्ध व बीमार होकर अत्यधिक गरीब है तथा अपना इलाज करा पाने में भी असमर्थ है।

अतः उक्त समस्त के आलोक में न्याय हित में अनावेदक/जमानतदार जगराम के 50000/- रुपए के प्रतिभूति पत्र में से शेष राशि का परिहार करते हुए 7000/- रुपए की राशि राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार उसकी ओर से उक्त राशि जमा करायी जावे।

इसी समय अनावेदक/जमानतदार जगराम की ओर से राजसात की गयी राशि 7000/- रुपए रशीद क्रमांक 89 बुक क्रमांक 6886 पर जमा करायी गयी।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से आगामी तिथि निरस्त हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज हो व प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)